



2026:AHC:21947

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1340 वर्ष 2026

नेहा

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

:अतुल कुमार, गगन प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था, तथापि आय प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है, जिसके संबंध में 22.12.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने 14.01.2026 को कारण बताओ नोटिस का अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन कार्यवाहियों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अब नया आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 5, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद मैनपुरी द्वारा किया जाएगा।

4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता 20.01.2026 तक प्रतिवादी संख्या 5, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जनपद मैनपुरी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 5 छह सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

राजेश

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"